बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना

Population of Bihar and Minorities

Figures in lakhs

Total Population of Bihar	829.985	(Census 2001)
Total Minority Population	138.147	
Break-up-of Minorities' Population :		
Muslims	137.22	
Christians	0.531	
Sikhs	0.208	
Buddhists & Parsis	0.188	
Total-	138.147	

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2007–2008 में प्रगति / स्थिति

1. अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण (2007–2008)

योजना उद्व्यय 1021.00 लाख रूपये

बजट प्रावधान 1021.00 लाख रूपये

व्यय 94.00 लाख रूपये

वर्ष 2006–07 तक का प्रगति एवं आय व्यय विवरणी

A)	भौतिक प्रगति	
(i)	कुल जिलो की सं0 जहां प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी	38
(ii)	जिले जहॉ कार्य पुर्ण है	14+1 (बालिका)
(iii)	जिले जहॉ कार्य प्रगति में है	23
(iv)	जिले जहॉ स्थल चयन नहीं हुआ है	1
B)	वित्तीय प्रगति	
(i)	उपलब्ध बजटीय राशि	3779.50
(ii)	जिलों को आवंटित राशि	3779.50
(iii)	व्यय	1974.38

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वित्तीय वर्ष 1999–2000 में 33 जिलों में 34 छात्रावास निर्माण की योजना संचालित की गयी थी । वित्तीय वर्ष 2006–07 में सरकार द्वारा 5 नये जिलों में भी छात्रावास निर्माण की योजना ली गयी है । वित्तीय वर्ष 2007–08 तक छात्रावासों के निर्माण की अध्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :–

(क) अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण कार्य पूर्ण

क0सं	जिला का नाम	साज सज्जा हेतु स्वीकृत राशि	साज-सज्जा हेतु आवंटित राशि	निर्माण हेतु आवंटन के लिए अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1.(क)	पटना (छात्रों के लिए)	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	छात्रावास छात्रों के बीच आंवंटित
(ख)	पटना(छात्राओं के लिए)	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
2.	गया	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
3.	औरंगाबाद	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
4.	भागलपुर	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
5.	वैशाली	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	संचालन समिति गठित ।
6.	मुंगेर	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
7.	मोतिहारी	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
8.	मधुबनी	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	छात्रावास छात्रों के बीच आंवंटित
9.	मधेपुरा	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
10.	अररिया	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
11.	रोहतास	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
12.	बेगुसराय	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
13.	कटिहार	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	
14.	खगड़िया	7.00 लाख	7.00 लाख	शून्य	

(ख) अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माणाधीन

क0सं0	जिला का नाम	आवंटित राशि	आवंटन हेतु अवशेष	अभ्युक्ति
1.	आरा	97.00 लाख	शून्य	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है
2.	जहानाबाद	97.00 लाख	शून्य	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है
3.	सीवान	97.00 लाख	शून्य	भूतल का कार्य पूर्ण ।
4.	गोपालगंज	97.00 लाख	शून्य	कार्य प्रगति में है ।
5.	दरभंगा	97.00 लाख	शून्य	कार्य प्रगति में है ।
6.	सुपौल	97.00 लाख	शून्य	कार्य प्रगति में है ।
7.	किशनगंज	97.00 लाख	शून्य	कार्य प्रगति में है ।
8.	सारण	80.00 लाख	17.00 लाख	कार्य प्रगति पर है ।
9.	सहरसा	97.00 लाख		फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है ।
10.	मुजफ्फरपुर	97.00 लाख		कार्य प्रगति में है ।
11.	बांका	97.00 लाख		कार्य प्रारंभ हुआ है ।

(ग) अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु स्थल चयन / निर्माण

क0सं0	जिला का नाम	आवंटित राशि	आवंटन हेतु अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1.	नालंदा	80.00 लाख	17.00 लाख	कार्य प्रारंभ
2.	बक्सर	57.50 लाख	39.50 लाख	स्थल अनुपलब्ध
3.	कैमूर	97.00 लाख	शून्य	स्थल चयनित
4.	नवादा	20.00 लाख	77.00 लाख	कार्य प्रगति में
5.	सीतामढ़ी	30.00 लाख	67.00 लाख	स्थल चयनित
6.	बेतिया	20.00 लाख	77.00 लाख	स्थल चयनित
7.	समस्तीपुर	20.00 लाख	77.00 लाख	स्थल चयनित
8.	पूर्णिया	31.00 लाख	66.00 लाख	कार्य आरंभ

(घ) वित्तीय वर्ष 2006-2007 में नये जिलों में छात्रावास निर्माण में सम्मिलित की गयी योजनायें ।

क्र0सं0	जिला का नाम	आवंटित राशि	आवंटन हेतु अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1.	शिवहर	70.00 लाख	41.644 लाख	स्थल चयन हेतु कार्रवाई की जा रही है ।
2.	लखीसराय	70.00 लाख	41.644 लाख	स्थल चयन हेतु कार्रवाई की जा रही है ।
3.	शेखुपरा	70.00 लाख	41.644 लाख	स्थल चयनित
4.	जमुई	70.00 लाख	41.644 लाख	स्थल चयनित ।
5.	अरवल	70.00 लाख	41.644 लाख	स्थल चयन हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

2. कब्रिस्तानों की घेराबंदी (2007-2008)

कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य माह अगस्त 2006 से राज्य सरकार द्वारा गृह (विशेष) विभाग को आवंटित किया गया है । जिसके आलोक में कब्रिस्तान की घेराबंदी से संबंधित सभी संचिकाएं गृह (विशेष) विभाग को पृष्ठांकित कर दी गयी है ।

इस विभाग से 500.00 लाख रूपये की बजटीय राशि वित्तीय वर्ष 2006-07 में माह जुलाई 2006 तक विभिन्न जिलों को आवंटित की गई जिस का व्योरा गृह विशेष विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है ।

3. हज भवन का निर्माण
(2007–2008)

हाजियों की संख्या

2005–2006 :– 2125

2006–2007 :– 2332

2007–2008 :– राज्यकोटा 5000

- योजना उद्व्यय 100.00 लाख रूपये
- बजट प्रावधान 100.00 लाख रूपये
- व्यय शून्य

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि(1999–2000)	327.40 लाख
पुनरिक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	582.25 लाख
भवन निर्माण विभाग विमुक्त राशि	582.25 लाख
भौतिक प्रगतिः सिविल कार्य (Structural)पुर्ण	14+1(बालिका)
कार्य प्रगति में	23

बजटीय राशि हज भवन के सिविल विद्युत एवं लोक स्वास्थ्य कार्य के निर्माण के पुर्ण होने के पश्चात साज सज्जा, कार्यालय उपस्कर, कम्प्यूटरीकरण इत्यादि पर व्यय किया जाएगा जिसकी कार्रवाई की जा रही है ।

प्रत्येक वर्ष राज्य से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों (आज़मीने हज) को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए उनकी सुख सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 1999–2000 में हज भवन के निर्माण का निर्णय लेकर सरकार द्वारा रू0 3,27,40,000/–की राशि उपलब्ध कराई गई । इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य हज समिति की देख रेख में भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना था जिसे राशि उपलग्ध करा दी गई थी, लेकिन सामग्री इत्यादि के दामों में वृद्धि तथा हज भवन में कुछ और सुविधाएँ बढाने के कारण हज भवन निर्माण का कार्य अधूरा रह गया था । वर्तमान में रू0 5,82,25,100/– (पॉच करोड़ बयासी लाख पच्चीस हजार एक सौ रूपये) का पुरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत कर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी तथा कार्य पूर्ण करने हेतु शेष रू0 2,54,85,100/– (दो करोड़ चौवन लाख पिचासी हजार एक सौ रूपये) की राशि भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है । वित्तीय वर्ष 2006–2007 में राज्य के हज यात्रियों को हवाई उड़ान के दो–तीन दिन पूर्व से ही सुख–सुविधाओं के लिए आवासन, विदेश यात्रा की प्रक्रियाओं के निर्वहन एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएॅ यथा टीकाकरण इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गयी थी । वित्तीय वर्ष 2007–08 में हज भवन का फिनिशिंग कार्य पूर्ण कर लेने एवं इस वर्ष के 100.00 लाख रूपये बजटीय प्रावधान से पुर्णरूपेण सभी सुविधाओं सहित सुसज्जित करने का लक्ष्य है ।

4. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

(चैनेलाइजिंग एजेन्सी ऑफ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली)

इक्वीटी शेयर

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
➢ योजना उद्व्यय 200.00 लाख रूपये (वास्ते इक्यूटी शेयर)	योजना उद्व्यय 232.39 लाख रूपये (वास्ते इक्यूटी शेयर)
➢ बजट प्रावधान 200.00 लाख रूपये	बजट प्रावधान 232.39 लाख रूपये
➢ व्यय 200.00 लाख रूपये	व्यय शून्य

2007–08 की बजटीय राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन के पश्चात निगम को विमुक्त किया जायेगा ।

5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को शेयर कैपिटल

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
योजना उद्व्यय 200.00 लाख रूपये	योजना उद्व्यय 205.00 लाख रूपये
बजट प्रावधान 200.00 लाख रूपये	बजट प्रावधान 205.00 लाख रूपये
व्यय 200.00 लाख रूपये	व्यय शून्य

वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को राज्य का हिस्सा पूँजी के रूप में रूपये 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को उपलब्ध करा दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 की राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विमुक्त कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को उपलब्ध करायी जायेगी ।

Bihar State Minorities Financial Corporation Ltd. Patna

(Funds Drawn from NMDFC & State Govt. From Inception)

	From State Govt.		Loan From NMDFC
Year	**Share Capital**	**Grant-in-Aid**	
1984-85	100-00	---	---
1985-86 to 1987-88	---	---	--
1988-89	25-00	---	--
1989-90	21-00	---	--
1990-91	25-50	---	--
1991-92	10-73	---	--
1995-96	23-27	---	--
1996-97	120-00	---	--
1997-98	---	305-00	128-96
1998-99	149-50	---	242-54
2000-01	---	---	326-00
2001-02	--	--	326-00
2002-03	--	--	196-60
2003-04	--	---	500-00
2004-05	--	--	800-00
2005-06	220-00	--	---
2006-07	200-00	---	300-00
Total	895-00	305-00	2820-10

Note : At the time of incorporation (1984) the authorised share Capital was Rs. 1000.00 lakhs which was later revised by Board of Directors to Rs. 2000.00 lakhs against which Rs. 895.00 has been released by State Govt.

6. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 6 नई योजनायें संचालित की गयी है। ये योजनाएं 2007–08 में भी संचालित की जा रही है।

(i) अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
➢ योजना उद्व्यय 25.00 लाख रूपये	योजना उद्व्यय 200.00 लाख रूपये
➢ बजट प्रावधान 40.00 लाख रूपये	बजट प्रावधान 200.00 लाख रूपये
➢ व्यय 25.00 लाख रूपये	व्यय शून्य

गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज के मेधावी एवं गरीब छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने हेतु योजना शुरू की गई है जिसके लिए गत वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख रूपये की राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध करा दी गयी है तथा उसके विरूद्ध सुयोग्य छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा रही है ।

वर्ष 2007–08 हेतु भी कार्रवाई आरम्भ की गयी है तथा निगम द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(ii) अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा (उच्च शिक्षा में दाखिला तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में नियोजन) हेतु कोचिंग की व्यवस्था

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
➢ योजना उद्व्यय 15.00 लाख रूपये	योजना उद्व्यय 200.00 लाख रूपये
➢ बजट प्रावधान 25.00 लाख रूपये	बजट प्रावधान 200.00 लाख रूपये
➢ व्यय 15.00 लाख रूपये	व्यय शून्य

गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज के मेधावी एवं गरीब छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग आदि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग हेतु रूपये 10,000/– एवं 5,000/– प्रति छात्र राशि देने की योजना शुरू की गई है जिसके लिए गत वित्तीय वर्ष में 15.00 लाख रूपये की राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध करा दी गयी है तथा उसके विरूद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की कारवायी निगम द्वारा की जा रही है ।

वर्ष 2007–08 हेतु भी कारवायी आरम्भ की गयी है तथा निगम द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें राशि उपलब्ध कर दी जायेगी ।

(iii) मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
योजना उद्व्यय 10.00 लाख रूपये	योजना उद्व्यय 140.00 लाख रूपये
बजट प्रावधान 35.00 लाख रूपये	बजट प्रावधान 140.00 लाख रूपये
व्यय 10.00 लाख रूपये(100 लाभान्वित)	व्यय शून्य

गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में सरकार द्वारा मुस्लिम परित्यक्ताओं को स्वरोजगार हेतु रूपये 10,000/– प्रति महिला आर्थिक सहायता के रूप में देने की योजना तैयार की गई है जिसके लिए गत वित्तीय वर्ष में 10 लाख रूपये की राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध करा दी गयी है तथा निगम द्वारा सुयोग्य आवेदिकाओं को राशि उपलब्ध कराने की कारवायी की जा रही है ।

वर्ष 2007–08 हेतु भी आवेदन प्राप्त कर अग्रतर कारवायी आरम्भ की गयी है । निगम द्वारा राशि की मांग किये जाने पर उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(iv) वक्फ बोर्ड के उत्थान हेतु रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था
सुन्नी वक्फ स्टेट : 2459, शिया वक्फ स्टेट : 225

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
योजना उद्व्यय 50.00 लाख रूपये	योजना उद्व्यय 40.61 लाख रूपये
बजट प्रावधान 50.00 लाख रूपये	बजट प्रावधान 40.61 लाख रूपये
व्यय 50.00 लाख रूपये	व्यय शून्य

वित्तीय वर्ष 2006–07 में वक्फ बोर्ड के विकास हेतु रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गयी है, जिसके द्वारा वक्फ के जमीनों पर मार्केट, कम्यूनिटी हॉल आदि का निर्माण कराया जायेगा, जिसे किराये पर अल्पसंख्यक बेरोजगारों या उनके स्वसहायता समूह को उपलब्ध कराया जायेगा । किराये की राशि से सामुदाय लाभ की अन्य योजनाएं भी संचालित की जायेगी । जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्डो को 50.00 लाख रूपये अनुदान के रूप में स्वीकृत कर उपलब्ध कराया गया है जिसके सदुपयोग के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2007–08 की राशि विमुक्त की जायेगी ।

(v) वक्फ संपत्ति की सुरक्षा एवं संबर्द्धन

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
योजना उद्व्यय 20.00 लाख	योजना उद्व्यय 50.00 लाख
बजट प्रावधान 20.00 लाख	बजट प्रावधान 50.00 लाख
व्यय 20.00 लाख	व्यय शून्य

वित्तीय वर्ष 2006–07 में वक्फ बोर्ड के सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु फंड की व्यवस्था की गयी है । जिसके लिए वक्फ बोर्डो को राज्य सरकार द्वारा 20.00 लाख रूपये अनुदान के रूप में स्वीकृत कर उपलब्ध कराया गया है । कार्य भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराने हेतु वक्फ द्वारा कारवायी की गयी है ।

(vi) वक्फ सम्पत्ति के सर्वे का कम्प्यूट्रीकरण कार्य

वर्ष 2006–2007	वर्ष 2007–2008
योजना उद्व्यय 50.00 लाख	योजना उद्व्यय 50.00 लाख
बजट प्रावधान 100.00 लाख	बजट प्रावधान 50.00 लाख
व्यय शून्य	व्यय शून्य

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संसूचित ज्ञापांक 175 दिनांक 01.02.2001 द्वारा बिहार राज्य में स्थित सभी वक्फ सम्पत्तियों की सर्वे समाहर्त्ता / उपायुक्त / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के अधिनस्थ पदस्थापित पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कराने के निमित वक्फ अधिनियम 1995 की धारा–4 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों के सर्वे के लिए आयुक्त एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ "सभी समहत्ताओं / उपायुक्त को "अतिरिक्त सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ तथा सभी भूमि सुधार उप समाहत्ताओं को "सहायक सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ" के रूप में नियुक्त किया गया है ।

इसका कार्यान्वयन पिछले कई वर्षो से रूका पड़ा है ।

सर्वेक्षण का कार्य पुर्ण होने पर कम्प्यूट्रीकरण का कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

7. गैर योजना मद से गतिविधियां

क्रमांक	संस्था का नाम	अनुदान की राशि (लाख में)					
		वर्ष 2005–06 में उपबंधित राशि/स्वीकृत		वर्ष 2006–07 में उपबंधित स्वीकृत राशि		वर्ष 2007–08 में उपबंधित / स्वीकृत राशि	
		उपबंधित	स्वीकृत	उपबंधित	स्वीकृत	उपबंधित	स्वीकृत
1.	बिहार उर्दू अकादमी	100.00	32.00	100.00	30.26	100.00	शून्य
2.	अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू	4.00		4.00	4.00	4.00	शून्य
3.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	शून्य
4.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	शून्य
5.	बिहार बंगला अकादमी	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00	शून्य
6.	बिहार राज्य हज समिति	10.00	8.00	20.00	18.00	10.00	शून्य

८. वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में बजट उपबंधित राशि का तुलनात्मक विवरणी

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2006–07 में बजट उपबंध (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2007–08 में बजट उपबंध (राशि लाख में)
वक्फ सम्पत्ति के सर्वे का कम्प्यूटरीकरण कार्य	10.00	50.00
कॉलेज में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों / छात्राओं को छात्रवृति	40.00	200.00
अल्पसंख्यक छात्रों / छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग	25.00	200.00
वक्फ सम्पत्ति के रख–रखाव सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु	20.00	50.00
वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवाल्विंग फंड के रूप में अनुदान	50.00	40.61
मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप में	35.00	140.00
अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण	676.04	1021.00
अल्पसंख्यक भवन–सह–हज हाउस का निर्माण	268.82	100.00
कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी	700.00	गृह विभाग को स्थानान्तरित
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा पुंजी में इक्वीटी पार्टीशिपेशन राज्य के हिस्सा पुंजी के रूप में अंश दान	200.00	232.39
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल शेयर)	200.00	205.00
योग :–	**2224.86**	**2239.00**

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन

अल्पसंख्यक मेधावी छात्र एवं छात्राओं के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र एवं छात्राओं के लिए एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना कार्यरत है । इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के वैसे छात्र एवं छात्राओं को एक मुस्त मात्र एक बार 10,000/– (दस हजार रूपये) मात्र की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है । जिन्होंने अलग से माध्यमिक परीक्षा में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा जिनकी सकल पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000/– (एक लाख रूपये) से कम हो तथा उच्च शिक्षा यथा मेडिकल / अभियंत्रण / अन्य तकनीकी / गैर तकनीकी शिक्षा आदि में शिक्षारत हों ।

बिहार राज्य में इस योजना से लाभ के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए, जिसके फलस्वरूप छात्राओं के 30 एवं छात्रों से 35 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । जिन्हें मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय), सामाजिक न्याय सेवा केन्द्र, चेम्स फोर्ड रोड, नई दिल्ली को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज दिया गया ।

बिहार उर्दू अकादमी

उर्दू भवन, अशोक राज पथ, पटना – 4

बिहार राज्य में बिहार उर्दू अकादमी 9 मार्च 1972 को स्थापित हुई है जिसके अध्यक्ष पदेन महामहिम श्री डी0 के0 बरूआ, राज्यपाल हुए । 1982 से महामहिम राज्यपाल के स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार अकादमी के अध्यक्ष बनाए गये एवं महामहिम राज्यपाल को संरक्षक (Patron) बनाया गया ।

वर्तमान में अकादमी में एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष, एक अंशकालिक उपाध्यक्ष एवं एक सचिव कार्यरत हैं । इन तीनों का कार्यकाल तीन वर्षीय माह अगस्त 2007 में पूर्ण हो रहा है । अकादमी में सदस्य के चार पद हैं जो अपने कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप रिक्त हैं । दो सदस्य अध्यक्ष द्वारा भी नामित किये जाने का प्रावधान है ।

बिहार उर्दू अकादमी के सम्पूर्ण कार्यकलाप के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया जाता है । जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त– अन्य 11 सदस्य हैं

बिहार उर्दू अकादमी उर्दू जूबान एवं उर्दू साहित्य की उन्नती के लिए योजनाबद्ध रूप में निरन्तर कार्रवाई करती है । अखिल भारतीय सेमीनार, मुसायरे, मोजाकरे, सिम्पोजियम इत्यादि अकादमी द्वारा कराये जाते हैं ।

राज्य सरकार द्वारा अकादमी को एक करोड़ रूपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2006–07 में अकादमी द्वारा पूर्व वर्ष के हिसाब का ससमय उपयोगिता नहीं देने एवं कार्य योजना का अनुमोदन एवं कार्यान्वयन के अभाव में अनुदान की राशि एक करोड़ रूपये में से मात्र लगभग 30.4 लाख रूपये अकादमी के स्थापना मद के खर्च हेतु ही विमुक्त किये जा सके हैं । अकादमी के पुनर्गठन की आवश्यकता है जिस हेतु कार्रवाई की गयी है ।

अंजुमन तरक़्क़ी–ए–उर्दू बिहार

उर्दू भवन, अशोकराजपथ, पटना – 4

बिहार राज्य में अंजुमन तरक़्क़ी–ए–उर्दू बिहार अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू हिन्द की एक शाखा के रूप में कार्य करती है । अंजुमन द्वारा उर्दू भाषा के प्रचार–प्रसार एवं तरक्की के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द के निदेशानुसार कार्रवाई की जाती है । अंजुमन द्वारा बिहार राज्य में उर्दू भाषा की तरक्की एवं प्रचार प्रसार के संबंध में राज्य की आवश्यकतानुसार अलग से भी कार्रवाई की जाती है ।

अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू बिहार को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख रूपये का अनुदान दिया जाता है ।